

कार्यालय जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी

पत्रांक

5367

/WS-36/ 322

दिनांक 19-8-25

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नामित एजेन्सी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 06.08.2025 की कार्यवृत्ति

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं क्रमशः मै० एन०सी०सी० लि० हैदराबाद व मै० वी०टी०एल० गजा (जे०वी०) इंजी०लि०, नोएडा द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) खण्ड कार्यालय लखीमपुर खीरी, मै० एन०सी०सी० लि० हैदराबाद के श्री मो० जमाल डी०पी०एम० लखीमपुर व मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि० नोयडा के, श्री विजय भल्ला सहा० जनरल मैनेजर व श्री प्रियान्शु यादव डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर लखीमपुर, टी०पी०आई० से श्री वैभव सक्सेना टीम लीडर व श्री मयंक सचान तथा खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम ग्रामीण लखीमपुर खीरी से श्री सौरभ कुमार वर्मा सहा० अभि० व जनपद में तैनात समस्त अवर अभि० तथा डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक आदि उपस्थित थे।

1. मै० एन०सी०सी० द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा—

उक्त एजेन्सी को आवंटित 667 योजनाओं में ओवर हेड टैंक के 687 नग लक्ष्य के सापेक्ष 190 नग ओवर हेड टैंक हैं। नियमित जलापूर्ति के लक्ष्य 1063 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 533 राजस्व ग्रामों में सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं कुल 245 राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य किया गया है। योजनाओं में उक्त एजेन्सी को जनपद में 431776 घरों में गृह जल संयोजन (FHTC) के लक्ष्य के सापेक्ष 406162 घरों में गृह जल संयोजन किया गया है जो 94 प्रतिशत है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि अभी तक केवल 533 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति का कार्य करते हुए 50 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। कार्यावधि समाप्ति होने के बाद भी लक्ष्य के सापेक्ष आधा ही कार्य हो पाया है। अत्यन्त धीमी गति से कार्य करने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

गृह जल संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात भी केवल 533 राजस्व ग्रामों अर्थात् 50 प्रतिशत राजस्व ग्रामों में सुचारु जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है। जबकि गृह जल संयोजन का कार्य लगभग पूर्ण होने की ओर है फिर भी नियमित जलापूर्ति कम होने का कारण पूछे जाने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। समीक्षा के दौरान अगली समीक्षा बैठक तक लगभग 1000 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये जिसके लिये कार्यदायी संस्था के अधिकारी सहमत है। कार्यदायी एजेन्सी को स्वघोषणा पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2. मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि० द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा—


उक्त एजेन्सी को आवंटित 237 योजनाओं में ओवर हेड टैंक के 237 नग लक्ष्य के सापेक्ष 86 नग ओवर हेड टैंक पूर्ण हैं जो 36 प्रतिशत है। नियमित जलापूर्ति के लक्ष्य 482 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 202 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है जो 42 प्रतिशत है एवं कुल 156 राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य किया गया है जो कि लगभग 32.36 प्रतिशत है।

योजनाओं में उक्त एजेन्सी को जनपद में 128556 घरों में गृह जल संयोजन (FHTC) के लक्ष्य के सापेक्ष 121889 घरों में गृह जल संयोजन किया गया है जो लगभग 95 प्रतिशत है। कार्य पूर्ण करने की तिथि समाप्त हो जाने के कारण समयवृद्धि का प्रस्ताव राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया गया है परन्तु अभी तक 42 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करके सुचारु रूप से जलापूर्ति की जा रही परन्तु अभी तक लगभग 58 प्रतिशत राजस्व ग्रामों में सुचारु जलापूर्ति नहीं हो रही है। अत्यन्त धीमी गति से कार्य करने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जो कि अत्यन्त खेदजनक है। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था को अगली समीक्षा बैठक तक 400 राजस्व ग्रामों में सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके लिये कार्यदायी संस्था सहमत हैं एवं इस सम्बन्ध में एजेन्सी को स्वघोषणा पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

3. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु—

- i. नियमित जलापूर्ति में हो रही बाधा के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 के प्रतिनिधि श्री शहबाज (डी0पी0एम0) द्वारा लगभग 80 पाइप पेयजल योजनाओं में सोलर वायर की चोरी होने का कारण बताया गया जिसके लिये अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को समस्त चोरी की घटनाओं की सूची सहित पुलिस अधीक्षक से अधोहस्ताक्षरी के पूर्व निर्गत आदेश के साथ सम्पर्क कर यथास्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।
- ii. समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि कुछ ग्रामों में नियमित जलापूर्ति हो रही है किन्तु हर घर जल प्रमाणीकरण व संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) का त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन नहीं हो पा रहा है इस कार्य को कराये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला विकास अधिकारी को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए तीन दिवसों में पूर्ण कराने के लिये निर्देशित किया गया।
- iii. जनपद में अपूर्ण शिरोपरि जलाशयों को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए आवंटित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
- iv. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 6 योजनाओं में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य बाधित है। मा0 न्यायालय में कुल 03 प्रकरण (ग्राम पंचायत जगदेवपुर, ओयल देहात व नगला) विचारधीन है तथा उनमें निर्गत स्थगन आदेश प्रभावी है जिसको निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी के करने के लिये अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि जल निगम उक्त वादों पक्षकार नहीं है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर पक्षकार बनकर तथ्यों को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाएं। शेष 03 प्रकरण जिसमें (ग्राम पंचायत बीबीपुर, गौड़ी व मेरुआ पश्चिम) स्थानीय/प्रशासनिक विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें एवम अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।
- v. JJM 2 Portal पर ग्राम पंचायतों की ऑन बोर्डिंग हेतु वाछिंत डाटा अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी जिला पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर खीरी से समन्वय स्थापित कर पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें।
- vi. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामवासियों द्वारा सड़क मरम्मत, लीकेज एवं गृह जल संयोजन से सम्बन्धित शिकायतें IGRS Portal व सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हो रही हैं जिन्हे गुणवत्तापूर्वक/समयान्तर्गत निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता को अवगत कराये जाने हेतु सम्बन्धित फर्म एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।


अतः समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश के साथ समीक्षा बैठक समाप्त की गयी।


(दुर्गा शक्ति नागपाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
लखीमपुर खीरी।

पृ०सं०एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. निजी सचिव, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. जिला विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5. जिला पंचायतराज अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी।
7. मै० सेन्सिस टेक लि०, टी०पी०आई०, लखीमपुर खीरी।
8. मै० एन०सी०सी०लि. हैदराबाद।
9. मै० वी०टी०एल० गाजा (जे०वी०) इंजी०लि०, नोएडा।
10. मै० आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लि०, डी०पी०एम०यू०, लखीमपुर खीरी।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
लखीमपुर खीरी।

दिनांक 06.08.2025 को जिलाधिकारी महोदय को अद्यतन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत

कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की उपस्थिति पंजीक

क्र:सं०	अधिकारी का नाम	पद व विभाग	मो नम्बर	हस्ताक्षर
1	डॉ. शक्ति नागावत	जिलाधिकारी		
2	आशुतोष कुमार	युवा विकास अधिकारी		
3	रविंद्राणी गुप्ता	ज.सि. सहा. जल संचय (मो.)	9560722222	
4	राजेश कुमार शर्मा	D.D.O.	8318131761	
5	VISHAL SANKH	BPRD	0299357755	
6	नरेश कुमार शर्मा	A.E. (सं. नि.स.)	9524540536	
7	पुष्पज अम्बेडकर	A.E. (BPMU)	9935657786	
8	एन.ए.ए. सिंघ	JE UPJN (कमि.)	9473942294	
9	अशोक कुमार यादव	JE UPJN (R)	9473342250	
10	नील पांडेय	JE UPJN (F)	6388247752	
11	शंभु वर्मा	JE UPJN (K)	0129559990	
12	अशोक वर्मा	JE UPJN (R)	9140516179	
13	समीर कुमार	JE UPJN (E)	0601027099	
14	अशोक कुमार	JE UPJN (K)	7394042300	
15	नीलेश शर्मा	J.E. UPJN (R)	73880000616	
16	रवींद्र पांडेय	JE UPJN (U)	7607790477	
17	Abhishek Kumar	JE UPJN (CR)	9198702044	
18	Shamuel Shabala	DDMU (CET)	9695554505	
19	Abhishek Srivastava	DDMU (CET)	9994146002	
20	Mukul Anand	DDMU (CET)	9995029425	

क्र:सं०	अधिकारी का नाम	पद व विभाग	मो नम्बर	हस्ताक्षर
21	Sandeep Singh	GIS EXPERT DPMU	7985029609	
22	Anand Kumar	IT & N/AI/OC	9909443103	
23	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	0555114531	
24	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	9171377376	
25	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	9021175241	
26	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	9318497022	
27	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	9336337129	
28	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	9812067519	
29	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	7903206990	
30	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	9389987677	
31	Manojit Saha	DDMU (CET) DPMU	7355737101	